न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2012/00118 (36/2012) 223 आरटीएक्ट

गोविन्दराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति बावरी निवासी डबलीबास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ़। ———अपीलान्ट

बनाम

1. कानाराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति बावरी निवासी डबलीबास कुतुब तहसील हनुमानगढ़। (फौत)

   1/1 भूरी पत्नी कानाराम
   1/2 भैराराम पुत्र कान्हाराम
   1/3 कृष्ण पुत्र कान्हाराम
   } जाति बावरी निवासी डबलीबास कुतुब तहसील हनुमानगढ़

   1/4 सोमती पुत्री कान्हाराम पत्नी मोतीराम जाति बावरी निवासी गांव कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

2. रतनी देवी पत्नी श्री शंकरलाल पुत्री मंगलाराम जाति बावरी निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर। (फौत)

   2/1 अमरभाटी
   2/2 जगदीशराम
   2/3 रूपराज
   } माता रतनी देवी पत्नी श्री शंकरलाल बावरी निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंह नगर

   2/4.सरबतीदेवी
   2/5 भंवरी देवी
   } पुत्रियां रतनी देवी पत्नी श्री शंकरलाल जाति बावरी निवासी – कंवरा तहसील रायसिंहनगर

3. आशादेवी पत्नी श्री श्योलाल पुत्री श्री मंगलाराम जाति बावरी निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर।

4. मुनीदेवी पत्नी श्री सुरजाराम
5. रामप्यारी पत्नी श्री रामकुमार
   } पुत्रियां श्री मंगलाराम जाति बावरी निवासी डबलीराठान हाल सीलापीर के पीछे हनुमानगढ़

6. धापादेवी उर्फ कमलेश पत्नी श्री पन्नाराम पुत्री मंगलाराम बावरी निवासी 22 पी एस रायसिंहनगर (हांडा कोठी के पास) तहसील रायसिंहनगर

7. राजस्थान सरकार। – रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2012 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्र. सं. 34/2009 बअनवानी गोविन्दराम बनाम कानाराम आदि

उपस्थित

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री जगदीश चलाना, अनुभव सिडाना रेस्पो0 की ओर से

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 16.03.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट द्वारा एक दावा इस्तकरार के बाबत गोविंदराम बनाग कानाराम, जो कि वादसं0 159/2004 पर दर्ज हुआ श्री मान हायक कालक्टर एवं उपसण्डाकिारी हनुमानगढ की अदालत में इन तथ्यों के साथ पेश किया था कि अपीलाण्ट गोविन्दराम के पिता स्व0 मंगलाराम के नाम से चक 10 एसटीजी तहसील नमानगढ के प.नं0 93/282 किलानं0 23, 24, 25 व प.नं0 93/283 किलानं0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 19 व प.नं. 94/283 किला नं0 4, 7, 11, 14, 17, 20 कुल 19 बीघा दर्ज है अपीलाट के पिता मंगलाराम का देहान्त दिनांक 26–3–03 को हो चुका है तथा गोविंद राम अपीलाण्ट की माता चैना देवी का देहान्त भी दि0 22–2–04 को हो चुका है। अपीलांट के पिता स्व0 मंगलाराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 22–6–1984 को उपरोक्त आराजी मे से चक 10 एस टी जी प0नं0 94/282 किला 24 व प.नं. 93/282 किलानं0–25 व प0नं0 94/283 किला नं. 4, ,7, 14, 17 तादादी 6 बीघा की एक वसीयत अपीलांट गोविंदराम के पक्ष में रोज गवाहान तहरीर व तस्दीक करवाई थी उपरोक्त वसीयत में वर्णित प0नं0 94/282 किलानं0 24 को अपीलाट की सहमति से स्व0 मंगलाराम ने विलय कर दिया था जिसके स्थान पर प0नं0 93/282 किला नं0–23 जबानी रोका गया। जुबानी रोबरू गवाहान व रेस्पो0 की सहमति से दे दी इस प्रकार कुल 6 बीघा भूमि पूरी कर दी इस प्रकार कुल 6 बीघा भूमि चक 10 एस टी जी के नं. 93/282 किला नं0 23 व 25 प0नं0 94/283 किला नं0 4, 7, 14, 17 कुल 6 बीघा भूमि पर अपीलांट का कब्जा व काश्त लगातार चलता रहा है। उपरोक्त दावा मे अपीलांट द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दफा–2 अपील में दर्ज 6 बीघा का खातेदार होने की घोषणा

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की इस्तदुआ की गई थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाबदावा पेश करने के पश्चात उपरोक्त दावा में निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

तनकी सं. 1 –आया वादी वाद की चरणसं0 4–5 वाके चक 10 एसटीजी प0नं0 93/282 किलानं0 23 व 25 प0नं0 94/283 किलानं 4, 7, 14, 17 कुल 6 बीघा का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है – वादी

तनकी सं0 2–आया वादी जरिय कथित वसीयत कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है? –– प्रतिवादी

तनकी सं0 3 आया वादी ने मंगलाराम के सभी वारिसान जायज व कानूनी को पक्षकार नही बनाया है अतः दावा चलने योग्य नहीं है। – प्रतिवादी

तनकी सं0 4 –आया वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में एक अन्य वाद विचाराधीन है तो उसका इस वाद पर क्या असर है ––प्रतिवादी

तनकी संख्या –5 आया कथित वसीयत 30 अपंजीकृत व कूटरचित है व वादी को अपने पक्ष में सिविल कोर्ट से प्रोबेट प्राप्त करना आवश्यकहै – प्रतिवादी

2. यह कि उपरोक्त दावा पहले सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा दिनांक 12–12–2006 को रेस्जुडिकेटा का सिद्धान्त मानते हुए वाद हुए निरस्त कर दिया गया। अपीलाण्ट द्वारा निर्णय की अपील करने पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 12–12–06 के द्वारा निर्णय दि0 18–2–2006 को निरस्त कर दिया तथा उपरोक्त प्रकरण में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार युक्तियुक्त सुनवाई किये जाने का निर्देश दिया गया। दिनांक 18–2–06 को निर्णय होने के पश्चात दादा अनवानी गोविंदराम बनाम कानाराम दावा संख्या पहले 159/48 तथा वर्तमान में वाद सं0 34/09 सहायक कलकटर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ को अदालत में पुनः आने पर दिनांक 27–1–2012 को निर्णय व डिको प्रसारित करते हुए उपरोक्त दावा में रेस्ज्यूडीकेटा का सिद्धान्त मानते हुए निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री रूहेदाद मिसल है तथा पूर्णतया गैरकानूनी व विधि विरुद्ध किया गया, जो निम्न आधारो पर निरस्त किए जाने योग्य है कि पूर्ववर्ती वाद अनवानी गोविंदराम बनाम चनादेवी जो पहले वाद नं0 10/048 था बाद में वाद सं0 47/06 पर दर्ज हुवा में तथा वर्तमान दावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

गोविंदराम बनाम कानाराम वाद नं0 34/99 में दोनों में वाद कारण अलग है पूर्ववर्ती दावा गोविंदराम बनाम चैना देवी में वादी द्वारा स्व0 मंगलाराम की भूमि को पैतृक सम्पति मानते हुए दावा किया गया था जिसमे मंगलाराम को उपरोक्त 19 बीघा आराजी मे से वादी गोविंदराम को 6 बीघा तथा कानाराम को 6 बीघा का खातेदार होने की घोषणा चाही गई थी तथा अन्य प्रतिवादी गण को 6 बोघा भूमि में प्रत्येक 1/24 हिस्से के खातेदार होने की इस्तदुआ की गई थी। उपरोक्त दावा गोविन्दराम बनाम चैनादेवी इस्तकरार हक व खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबात था जबकि वर्तमान दावा केवल वसीयत दिनांक 22–6–84 के आधार पर हुआ है। इसलिए दोनों दावों में अलग अलग वाद कारण हैं। पूर्ववर्ती वाद गोविंदराम बनाम चैना देवी तथा वर्तमान दावा अनवानी गाविंदराम बनाम कानाराम में दर्ज भूमि विषयवस्तु प्रत्यक्षतः एवं सारवान रूप से भिन्न है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–1–12 निरस्त होने योग्य है। वर्तमान दावा गोविंदराम बनाम कानाराम वाद संख्या 34/09 वसीयत के आधार पर हुवा है जो कि एक नये घटनाक्रम का अंग है– जबकि पूर्ववर्ती दावा गोविंदराम बनाम चैना देवी पैतृक सम्पति के आधार पर हुआ था। ऐसी स्थिति में गोविंदराम बनाम कानाराम के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्ज्यूडीकेटा के सिद्धान्त को लागू करके वर्तमान दावे को निरस्त किया जाना पूर्णतया विधि विरूद्ध है। इसलिए निर्णय दिनांक 27–1–2012 निरस्त होने योग्य है। पूर्ववर्ती वाद गोविंदराम बनाम चैना देवी तथा कानाराम बनाम रतनी देवो आदि दोनो दावो को मिलाकर निर्णय किया गया है तथा उपरोक्त दावों में रेपोडेन्ट के काउंटर को मानते हुए निर्णय लिया गया उपरोक्त दोनो पूर्ववर्ती दावो में नियमानुसार कानूनी प्रकिया नही अपनाई गई है और ना हो अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया गया और ना ही ना ही रेस्पोडेण्ट द्वारा द्वारा पेश किये गये काउंटर कलेम के संबंध में सबूत पेश करने का मौका दिया गया इसलिए उपरोक्त दावा गोविदराम बनाम चैना देवी पूर्ण रूप से सुनकर निर्णय नहीं किया गया है तथा पूर्व वर्ती दावा गोविंदराम बना चैना देवी कानून के मान्य सिद्धान्तों के पूर्णतया विपरीत तौर पर निर्णय किया गया है ऐसी सूरत में पूर्ववर्ती दावा गोविन्दराम बना चैना देवी अंतिम रूप से निस्तारण की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा गोविंदराम बनाम कानाराम में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू करना पूर्णतया गैरकानूनी है इसलिए निर्णय में 27–1–2012 निरस्त होने योग्य है। श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकरी के द्वारा उपरोक्त संदर्भ में किए गये निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दिनांक 18–2–06 में उठाये गये बिन्दुओं के दृष्टिगत अधिनस्थ न्यायायल द्वारा कानूनन तरीके से विचार न करते हुए दावा अनवानी गोविंदराम बनाम कानाराम में बनी तनकी नं. 4 जो कि रेस्ज्यूडिकेटा के संबंध में किया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा किये गये निर्देर्षों के प्रतिकूल है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकरण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि वादी व मिन प्रतिवादी के पिता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 22.06.84 को या अन्य किसी दिन या दिनांक को किसी भी कृषि भूमि की कोई वसीयत वादी के हक में रोरूबरू गवाहान या अकेले तहरीर या तकमील नहीं करवाई है। वादी के द्वारा प्रस्तुत चित्रप्रति कथित वसीयत देस्तावेज वसीयत की परिभाषा में आने वाला दस्तावेज नही है। इसमें वसीयत के आवश्यक तत्व ही नहीं है। यह दस्तावेज कृषि का बंटवारा है जिसमें वादी एवं मिन प्रतिवादी के पिता स्व0 मंगलाराम ने चक 10 एसटीजी तहसील हनुमानगढ प0 नं0 94/282 किला नं. 24 प0 नं0 93/282 किला नं. 25 प0 नं0 94/283 किला नं. 4, 7, 14, ,17, कुल 6 बीघा जमीन जो प्रतिवादी के हिस्से की बनती थी उसे दी थी। अभिकथित वसयीत में वादी ने कि0 नं0 व प0 नं0 को फर्जकारी करते हुए किसी अन्य व्यक्ति से वाद में दर्ज करवाये हैं। प0 नं0 94/282 कि0 नं0 24 को वादी ने अलग होने के बाद निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेच दिया तथा उसके स्थान पर पक्षकारान के पिता द्वारा वादी को पूर्ति में प0 नं0 93/282 किला नं. 23 जुबानी वसीयत रोबरू गवाहान व मिन प्रतिवादी की सहमति से कुल 6 बीघा भूमि पूरी करने का कथन पूर्णतया मिथ्या होने से अस्वीकार है। किला पर वादी का कब्जा काश्त भी नहीं है। वादी के पक्ष में पक्षकारान के पिता ने जब कोई वसीयत की ही नहीं तो कथित वसीयत से वादी को कोई विधिक अधिकार या हकूक उत्पन्न नहीं होते है तथा वादी कथित वसीयत में उल्लेखित कृषि भूमि में वादी के खातेदारी हकूक को मानने का कोई विधिक दायित्व नहीं बनता है। घरू बंटवारा को कथित वसीयत के रूप में अदालत हाजा से आदेश प्राप्त करना चाहता है वादी कोई आराजी प्राप्त करने का कानूनन दोवेदार नही है। अभिकथित वसीयत अपंजीकृत होने के कारण इस संबंध में सिविल न्यायालय से साबित कराना आवश्यक है। इसलिए प्रकरण न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार से बाहर का है। पक्षकारान के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पिता श्रीमंगलाराम ने जमीन सम्बन्धित विवाद को खत्म करने के लिए वादी को छः बीघा कृषि भूमि अपने जीवनकाल में बंटवारा करके दे दी थी, बरोरू गवाहान लिख पढी की गई थी। इसी बंटवारानामा को लालचवश बंटवारा दस्तावेज को वसीयत के रूप में प्रयोग कर अदालत से खातेदार काश्तकार की घोषणा प्राप्त कर भूमि का नामांतकरण का आदेश प्राप्त करना चाहता है। वादी ने अलग होने के बाद अपने हिस्से के प0 नं0 94/282 किला नं. 24 निजी स्वार्थों एवं आवश्यकताओं के लिए विक्रय कर दिया था। वाद पत्र में हाजा में वादी द्वारा स्व0 मंगलाराम के सभी जायज एवं कानूनी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए वाद पत्र आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से काबिल खारिजी हो जाता है। प्रतिवादी सं0 1 के पिता स्व0 मंगलाराम के सभी जायज वारिसान के मध्य एक वाद अनवानी गांविंदराम बनाम चैनादेवी वगैराह घोषणात्मक एवं खाता विभाजन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वह वाद भी वादी गोविंदराम के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी ने अभिकथित वसीयत में उल्लेखित कृषि को अपने पिता द्वारा बांटकर देने का कथन किया है। यह भी कथन किया है इसलिए लिखा पढी हुई थी। वादी अपने पूर्व के कथनों विंबधित है और अब वह कानूनन नये कथन नहीं कर सकता इसलिए अपीलाण्ट का वाद खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत के आधार पर घोषणा का वाद पेश किया था जो विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है।

8. तनकी नं.1को सिद्ध करने का भार वादी पर था। अपीलाण्ट वादी ने वसीयत दिनांक 22.06.1984 के आधार पर घोषणा करने की इस्तदुआ की है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती वाद संख्या 47/2004 गांविन्दराम बनाम चैनादेवी वगैरह की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली है जिससे पूर्णतया प्रकट है कि पूर्ववर्ती वाद के पक्षकार भी वही है जो किस इस वाद में विषय भी सम्बन्धित भूमि एक समान हैं। पूर्व का जो वाद है वह घोषणा एवं खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का था। वह वाद भी अपीलाण्ट वादी द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। जिसका निर्णय दिनांक 24.04.2006 को हो चुका है। अब अपीलाण्ट ने पुनः एक दावा वसीयत के आधार पर प्रस्तुत किया है, चूंकि अपीलाण्ट पूर्व में एक वाद प्रस्तुत कर चुका है उसकी अपील भी राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो चुकी है। प्रतिवादी सं0 1 के पिता स्व0 मंगलाराम

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के सभी जायज वारिसान के मध्य एक वाद अनवानी गांविंदराम बनाम चैनादेवी वगैराह घोषणात्मक एवं खाता विभाजन न्यायालय किया था। वह वाद भी वादी गोविंदराम के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी ने अभिकथित वसीयत में उल्लेखित कृषि को अपने पिता द्वारा बांटकर देने का कथन किया है। वादी अपने पूर्व के कथनों विंबधित है और अब वह कानूनन नये कथन नहीं कर सकता। अतः यह अपीलाधीन वाद रेस्ज्यूडिकेटा से प्रभावित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी का निर्णय वादी/अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णित किया है जो विधि सम्मत है।

9. तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने भार भी प्रतिवादी पर था प्रतिवादी ने जवाब दावा तथा प्रस्तुत दस्तावेज के बयानात के आधार यह सिद्ध कर दिया है वह कथित वसीयत से अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है पूर्ववर्ती वाद में इसी भूमि के संबंध में अपीलाण्ट वादी ने घरू बंटवारा में प्राप्त करना अंकित किया है। तनकी सं0 1 के निर्णय अनुसार अपीलाण्ट का वाद रेस्ज्यूडिकेटा से प्रभावित है। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट के पक्ष में निर्णित किया है जो विधि सम्मत है।

10. तनकी नं. 3 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी ने अपनी भूल का सुधार कर न्यायायल के आदेश पर समस्त जायज एवं कानूनी वारिसान को पक्षकार बना लिया था। इसलिए इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित किया है जो विधि सम्मत है।

11. तनकी नं. 4 का सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी ने इस तनकी के सम्बन्ध साबित किया है कि पूर्व में एक वाद चल रहा है इसलिए यह वाद रेस्ज्यूडिकेटा से प्रभावित है। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी विरूद्ध विचारण न्यायालय ने किया है जो विधि सम्मत है।

12. तनकी नं. 5 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वसीयत कूट रचित है है इस बाबत सिविल कोर्ट से वसीयत को प्रतिवादी ने सिद्ध नहीं करवाया है। लिहाज इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध विचारण न्यायालय ने निर्धारित किया है जो विधि सम्मत है।

13. उपरोक्त तनकीवाई निर्णय से यही प्रकट होता है कि **गोविंदराम ने पूर्व में एक वाद 47/2004 प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय 24.04.2006 को हो चुका है वह वाद भी वादी गोविंदराम के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी ने अभिकथित वसीयत में उल्लेखित कृषि को अपने पिता द्वारा बांटकर देने का**

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कथन किया है। यह भी कथन किया है इसकी लिखा पढी हुई थी। वादी अपने पूर्व के कथनों विंबधित है और अब वह कानूनन नये कथन नहीं कर सकता लिहाजा यह वर्तमान अपीलाधीन वाद रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से प्रभावित होने के कारण विचारण न्यायालय ने वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

14. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन दिनांक 27.01.2012 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावें पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडीआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास आशाराम डूडी आर0ए0एस0

अपील संख्या 2012/00118 (36/2012) 223 आरटीएक्ट

गोविन्दराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति बावरी निवासी डबलीबास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ़। ----अपीलान्ट

बनाम

1. कानाराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति बावरी निवासी डबलीबास कुतुब तहसील हनुमानगढ़। (फौत)

   1/1 भूरी पत्नी कानाराम
   1/2 भैराराम पुत्र कान्हाराम
   1/3 कृष्ण पुत्र कान्हाराम
   } जाति बावरी निवासी डबलीबास कुतुब तहसील हनुमानगढ़

   1/4 सोमती पुत्री कान्हाराम पत्नी मोतीराम जाति बावरी निवासी गांव कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

2. रतनी देवी पत्नी श्री शंकरलाल पुत्री मंगलाराम जाति बावरी निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर। (फौत)

   2/1 अमरभाटी
   2/2 जगदीशराम
   2/3 रूपराज
   } माता रतनी देवी पत्नी श्री शंकरलाल बावरी निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंह नगर

   2/4.सरबतीदेवी
   2/5 भंवरी देवी
   } पुत्रियां रतनी देवी पत्नी श्री शंकरलाल जाति बावरी निवासी – कंवरा तहसील रायसिंहनगर

3. आशादेवी पत्नी श्री श्योलाल पुत्री श्री मंगलाराम जाति बावरी निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर।

4. मुनीदेवी पत्नी श्री सुरजाराम
5. रामप्यारी पत्नी श्री रामकुमार
   } पुत्रियां श्री मंगलाराम जाति बावरी निवासी डबलीराठान हाल सीलापीर के पीछे हनुमानगढ़

6. धापादेवी उर्फ कमलेश पत्नी श्री पन्नाराम पुत्री मंगलाराम बावरी निवासी 22 पी एस रायसिंहनगर (हांडा कोठी के पास) तहसील रायसिंहनगर

7. राजस्थान सरकार। – रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2012 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्र. सं. 34/2009 बअनवानी गोविन्दराम बनाम कानाराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री जगदीश चलाना, अनुभव सिडाना रेस्पो0 की ओर से, श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता, और से की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन दिनांक 27.01.2012 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 16.03.2020 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.24 18:27:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: